भारत ने अलकायदा और आईएस के नए संगठनों को प्रतिबंधित किया

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने कठोर आतंकवाद रोधी कानून, गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम,1967 (UAPA) के तहत आतंकी संगठन अलकायदा और आईएस के नए संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय ने अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) और आईएस के अफगानिस्तान आधारित संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड खुरासन (ISKP) को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है क्योंकि इन संगठनों को 'वैश्विक जिहाद' के लिये भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने तथा उन्हें भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिये उकसाने का दोषी पाया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि अल क़ायदा और ISKP के सहयोगी AQIS और इस्लामिक स्टेट (IS) का अफगानिस्तान विंग, दोनों "आतंकवादी संगठन" हैं। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट पहले से ही UAPA के तहत प्रतिबंधित हैं|
- मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अलकायदा से जुड़ा संगठन AQIS एक आतंकवादी संगठन है जिसने पड़ोस के देशों में आतंकी कृत्यों को अंजाम दिया है और भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय हितों के खिलाफ आतंकी कृत्यों को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन दे रहा है|
- आदेश में कहा गया है कि यह संगठन 'वैश्विक जिहाद' के लिये युवाओं की भर्ती कर अपनी स्थिति मज़बूत करने तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंक अपना खुद का 'खलीफा' स्थापित करने के उद्देश्य से आतंकी कृत्यों को अंजाम देता रहा है।
- जनवरी में दिल्ली पुलिस ने युवा भारतीयों को जेहादी समूह में शामिल कराने के लिये कथित रूप से भाषण देने के आरोप में अल-कायदा के संदिग्ध आतंकवादी जीशान अली के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया था।
- गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि संगठन (अब प्रतिबंधित) भारत तथा भारतीय हितों को अपना निशाना मानता है और आतंकी गतिविधियों के लिये भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने तथा उनकी भर्ती करने जैसी गतिविधियों में लगा है।
- इसमें कहा गया है कि युवाओं का चरमपंथ की जद में आना राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये गंभीर चिंता का विषय है। गैर- कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून में प्रतिबंधित संगठनों और उनके सदस्यों से निपटने के लिये कठोर प्रावधान हैं।
- तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के दोषियों को शामिल करते हुए ISKP 2015 में अस्तित्व में आया था।
- कहा जाता है कि केरल के 20 पुरुष, महिलाएँ और बच्चे 2016 में अफगानिस्तान में आईएस-नियंत्रित क्षेत्र में रहने के लिये गए थे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-bans-two-affiliates-of-al-qaeda-and-is